

चाईलड बजट वर्ष 2024-25

विभाग- आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

राशि हजार ₹ में

अ. बाल विशिष्ट योजना (योजनाएं जिसमें बच्चों के लिए प्रावधान 100 प्रतिशत है)

क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	बजट प्रावधान 2023-24	बजट प्रावधान 2024-25	अनुमानित लाभार्थी 0 से 18 वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1.	7437	मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना	नक्सल प्रभावित जिलों तथा राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में अध्ययनरत प्रतिभावान बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षा कोचिंग, आवास, भोजन, खेलकूद, मनोरंजन आदि की सुविधा प्रदान कर संरक्षक की भूमिका निभाते हुए रोजगार में स्थापित कर उनके जीवन में स्थायित्व प्रदान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।	544470	596550	5215
2.	1395	छात्रावास	प्री. मैट्रिक छात्रावास एवं आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को मेस संचालन हेतु शिष्यवृत्ति की राशि वर्ष 2015-16 से ऑनलाईन माध्यम से प्रदाय की जा रही है। वर्ष 2018-19 से छात्रावास एवं आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को राशि रूपये 1500/- प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी शिष्यवृत्ति के रूप में प्रदान की जा रही है।	4554250	5143392	113482
3.	495	आश्रम और शालाएं	प्री. मैट्रिक छात्रावास एवं आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को मेस संचालन हेतु शिष्यवृत्ति की राशि वर्ष 2015-16 से ऑनलाईन के माध्यम से प्रदाय की जा रही है। वर्ष 2018-19 से छात्रावास एवं आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों को राशि रूपये 1500/- प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी शिष्यवृत्ति के रूप में प्रदान की जा रही है।	3145630	3615565	93097

चाईलड बजट वर्ष 2024-25

विभाग- आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

राशि हजार ₹ में

अ. बाल विशिष्ट योजना (योजनाएं जिसमें बच्चों के लिए प्रावधान 100 प्रतिशत है)

क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	बजट प्रावधान 2023-24	बजट प्रावधान 2024-25	अनुमानित लाभार्थी 0 से 18 वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
4.	6140	छात्र भोजन सहाय योजना	पोस्ट मैट्रिक छात्रावासी विद्यार्थियों के बढ़ते उम्र के अनुरूप संतुलित शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, छात्र भोजन सहाय योजना प्रारंभ की गई है। जिसके अंतर्गत विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को भोजन सहाय हेतु राशि उपलब्ध करायी जाती है। जिसमें समय-समय पर वृद्धि की जाती है। वर्तमान प्रतिमाह प्रति छात्र रुपये 1200/- प्रदाय किया जा रहा है।	308400	572960	28189
5.	7592	खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्रावासियों को खाद्यान्न	छत्तीसगढ़ राज्य खाद्यान्न सुरक्षा योजना वर्ष 2013 से प्रारंभ की गई है। उक्त योजना अंतर्गत विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास-आश्रमों में निवासरत विद्यार्थियों के साथ-साथ विशिष्ट संस्था/अशासकीय संस्थाओं में निवासरत विद्यार्थियों को भी रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।	272925	273000	205629

चाईलड बजट वर्ष 2024-25

विभाग- आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

विभागाध्यक्ष- संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

राशि हजार ₹ में

अ. बाल विशिष्ट योजना (योजनाएं जिसमें बच्चों के लिए प्रावधान 100 प्रतिशत है)

क्र.	योजना क्रमांक	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	बजट प्रावधान 2023-24	बजट प्रावधान 2024-25	अनुमानित लाभार्थी 0 से 18 वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
6.	2194	विशेष कोचिंग केन्द्र योजना	दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी एवं वाणिज्य जैसे विषयों के शिक्षकों का अभाव बना रहता है। जिसके कारण छात्रावास आश्रमों में निवासरत विद्यार्थी इन विषयों में कमजोर रह जाते हैं। अतः वर्ष 2005 में विशेष शिक्षण केन्द्र (कोचिंग) योजना लागू की गई। इस योजना के द्वारा गणित, विज्ञान, अंग्रेजी एवं वाणिज्य विषयों से संबंधित कमजोरी को दूर करने की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे इस वर्ग के छात्र/छात्राओं के परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार के साथ वे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने योग्य बन सकें।	19800	21780	37000
7.	3673	अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के दौरान आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।	1200000	1500000	150788
8.	8050	अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के दौरान आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।	4225300	810100	36986
9.	8979	अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	प्रदेश के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के दौरान आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।	720000	1100000	80955